रजिस्ट्री सं. डी. (डी.) 187 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1981/माघ 10, 1902
No. 48] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1981/MAGHA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1981

का. आ. 75 (अ) —केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 27 अक्तूबर, 1980 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. 860(अ), तारीख 22 अक्तूबर, 1980 के अनुक्रम में 30 जून, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तक इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों

में लगे हुए प्रत्येक विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का स्वामी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा ।

अनुसूची

(1) लीथो छपाई उद्योग सहित छपाई ।

(2) कटलरी ।

(3) जिप फास्टनर (धात्विक और अधात्विक) ।

(4) तेल स्टोव ।

(5) स्टील फर्नीचर ।

(6) ग्रेफाइट मूषा ।

[फा. सं. 13/3/78-एल पी]
बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1981

S.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 860(E), dated the 22nd October, 1980, published in Part II-Section 3-Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th October, 1980, the Central Government hereby makes the 30th day of June, 1981, as the date within which the owner of every existing industrial undertaking engaged in the industries specified in the Schedule to this notification shall obtain a certificate of registration.

SCHEDULE

1. Printing, including litho printing industry.
2. Cutlery.
3. Zip fasteners (metalic and non-metallic).
4. Oil stoves.
5. Steel furniture.
6. Graphite crucibles.

[File No. 13/3/78-LP]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981